63

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा शाखा रीवा म0प्र0

दादन प्रसाद पाण्डेय तनय बलभद्रराम पाण्डेय उम्र 76 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम गड़रिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

———पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

कृष्ण गोपाल त्रिपाठी तनय रामाश्रय त्रिपाठी उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम गड़रिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदक

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द, तहसील हुजूर, रा. प्र0क0–185अ12/15–16 निर्णय दिनांक 18.07.2016

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :–

1– यह कि रा0नि0मं0 रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 18.07.2016 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2– यह कि पटवारी हल्का जोरी द्वारा किया गया सीमांकन दिनांक 03.07.2016 के सम्बन्ध में स्थल पंचनामा (प्रदर्श पी 2) एवं सूचना पत्र (प्रदर्श पी–3) के एवं सीमांकन प्रतिवेदन (प्रदर्शपी–1) की सूचना सीमावर्ती कृषक के रूप में पुनरीक्षणकर्ता को नहीं दी गई है जिससे बिना सम्मन–सूचना के किया गया सीमांकन दिनांक 03.07.2016 विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5027–दो/2017 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मिश्रा द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 185/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी लगभग 5 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	